

संदर्भ: POWERGRID/NR-III/RTI/22-23/03

दिनांक: 14.07.2022

सेवा में,  
श्री मसूद अहमद  
पुत्र स्व० शिव कुमार  
नि० 35/87 ए सिलाखाना  
तेलियरगंज इलाहाबाद

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत आपके पत्र दिनांक 29.06.2022 के संबंध में।

महोदय,


आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत भेजा गया पत्र दिनांक 29.06.2022 क्षेत्रीय मुख्यालय लखनऊ को पावरग्रिड के इलाहाबाद उपकेन्द्र के माध्यम से दिनांक 11.07.2022 को प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा मांगी गयी जानकारी निम्नवत है-

क्रमांक	मांगी गई जानकारी	दी गयी जानकारी
1.	क्या भंडरा उमरगंज तहसील करछना जिला इलाहाबाद में रीवा रोड से होते हुई जो भंडरा उमरगंज से सरंगापुर तक जो लाइन गई है वो लाइन किस सन में चालू हुई है।	भंडरा उमरगंज तहसील करछना जिला इलाहाबाद से कई लाइने गई है, अतः आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है।
2.	क्या भंडरा उमरगंज तहसील करछना जिला इलाहाबाद में अराजी सं० 381, 130, 385 पर जो हाईटेंशन लाइन वा टावर लगाया गया था। वह किस सन में लगया गया है।	

**प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:**

श्री आर० नागपाल  
कार्यपालक निदेशक,  
पावरग्रिड उ०क्षे० - 3  
12 राणा प्रताप मार्ग,  
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, लखनऊ - 226001

भवदीय,

  
14.07.22

[राणा प्रताप]

वरि०महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)  
पदांकित सी.पी.आई.ओ. - उ. क्षे. - 3,  
पावरग्रिड, लखनऊ